

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर ।

क्रमांक एफ20(101)आयो.भि/लेखा/बजट/निकाशि/11-12/ दिनांक -


समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय (आयोजना भिन्न),
पुरुष/ महिला/ टी.ए.डी.

- विषय :- वित्त वर्ष 2012-13 के लिए आय-व्यय अनुमानों को IFMS पर
Online करने बाबत ।
प्रसंग :- इस विभाग का समसंख्यक पत्र क्रमांक 556-671 दि0 13.10.11 ।

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि IFMS पर देखने पर ज्ञात हुआ है कि महाविद्यालय स्तर पर बजट प्रपत्रों को Online भरते समय राशि का इन्द्राज ~~हज़ारों~~ सहस्रों में नहीं किया जा रहा है, जबकि वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.4 (30)वित्त/-1(1)आय-व्यय (Thousands) 2011 दिनांक 3.8.11 में बजट प्रपत्रों को भरते समय राशि सहस्र में दर्शाई जानी है ।

अतः वित्त विभाग के निर्देशानुसार राशि सहस्रों में दर्शाई जाना सुनिश्चित की जावें ।


मुख्य लेखाधिकारी
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ20(101)आयो.भि/लेखा/बजट/निकाशि/11-12/806459 दिनांक - 19/10/11
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. श्री धीरेन्द्र देवर्षी, व्याख्याता को प्रेषित कर लेख है कि कृपया विभाग की वेबसाइट पर उपलोड करने का कष्ट करें ।


मुख्य लेखाधिकारी